वह कार्य जो एक हाजी और तीर्थ यात्री के लिए कर ना वैध है |

संकलन :

डॉक्टर सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फौज़ान

सदस्य उलमा कमिटी

सभी अधिकार जामिया इस्लामिया इमाम मुहम्मद बिन सऊद के लिए आरक्षित है, १४२७ हिजरी

शाह फहद राष्ट्रीय ग्रन्थालय के द्वारा सूचीबद्ध

फौजान, सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह

वह कार्य जो हाजी और तीर्थ यात्री के लिए करना वैध है सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान, रियाज, १४२७ हिजरी ।

पृ ६१, १७ ’ १२ सेंटी मीटर

मार्गदर्शन संदेश शृंखला, १,

आर दी एम के: ६६६०-०४-६६६-६
१-हज२-उमर: अ: शीर्षकआ: क्रमानुसार दीवदी २,२५२ प्रकाशन संख्या: १४२७ ५०६०

आर दी एम के: ६६६०-०४-६६६-६

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है।

मुद्रण एवं प्रकाशन के सभी अधिकार जामिया इस्लामिया इमाम मुहम्मद बिन सऊद के लिए सुरक्षित हैं।

मुख बंध

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिन्नबीय्ये खातिमिल मुर्सलीन, नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व ससल्लम व बअद :

जामियाः इस्लामिया इमाम मुहम्मद बिन सऊद ने मार्गदर्शन पर आधारति पुस्तकों के प्रकाशन के अपने प्रर्थम चरण में :

वह कार्य जो हाजी व तीर्थ यात्री के लिए करना वैध है।

संकलन : डह्क्टर शैख सालेह बिन फौज़ान अलफौज़ान,उन के शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के कुछ अंश प्रकाशित किये थे,और जामिया की ओर से इस पुस्तक को बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित किया गया था और हज के आरम्भ होने से प्रथम इसका वितरण किया गया था ,इसके बावजूद भी यह पुस्तक बाजार से खत्म होगई, और देश के भीतर और बाहर इस

पुस्तक के प्रकाशान का अनुरोध बढ़ता गया, इस का कारण यह था कि यह पुस्तक बहुत कम पन्नों पर आधारित है ,लेकिन इसमें लिखी हुई बातें व्यापक और सरलता से समझ में आने वाली थी, इसलिए पाठकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जामियाः इस्लामिया इमाम मुहम्मद बिन सऊद ने कई बार इस पुस्तक को प्रकाशित किया ,और प्रकाशित होने के बाद थोड़ी सी अवधि के दौरान ही यह पुस्तक बाजारों से समाप्त हो गई। पुस्तक के लेखक (अल्लाह ताआला इन्हे अच्छाबदलादे) ने अपनी पुस्तक के बढ़ते हुए अनुरोध, लागों के लिए इस जैसी सरल मार्गदर्शन करने वाली पुस्तकों की अत्यन्त अवश्यकता, विभिन्न देशें में होने वाले इस पुस्तकके विस्तार और उस से होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए विचार कियाऔर कुछ उपयुक्त एवं उचित परिवर्तन भी किये,जो विषय के अनुसार से अधिक से अधिक शामिल और लाभ के अनुसार अधिक पूर्ण हैं।

जामिया इस्लामिया इस पुस्तक को दोबारा प्रकाशान करते हुए खादिमुल हरमैन शरीफैन और उनकी बुद्धिमान नेतृत्व सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहा है,जिसके माध्यम से इस्लाम की शिक्षा और इस्लामी शरीयत का प्रस्ताव और फैलाव में लगातार प्रयत्न जारी है। अल्लाह तआला से यह अशा है कि यह पुस्तक इस्लामी दशों के प्रति हाजी और तीर्थ यात्री के हाथों तक पहुँचे, और उचित रूप से विधियों को पूरा करने से लाभ हो,और अल्लाह ताआला से यह इच्छा रखते हैं के वह इस पुस्तक को अच्छाई और भलाई का साधन बनाये, और दुनिया और आखिरत में इसको पुण्य का कारण बनाये।

जामिया इस्लामिया इमाम मुहम्मद बिन सऊद यह घोषणा भी करती है के हर वह संस्था यदि सरकारी हो या व्यक्तिगत जो इसपुस्तक को मुफ्त में वितरण करनेके लिए प्रकाशित करना चाहते हैं, ताकि इसका लाभ सर्वजानिक हो और पुण्य का मूल कारक बने

तो ऐसे संस्था को जामिया के जिम्मेदार व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद इसकी पूर्ण रुप से अनुमति होगी।

अल्लाह ताआला पुस्तक के लेखक को अच्छा फल दे, कि इन्हों ने अल्लाह के दीन की ओर निमंत्रण देने,उसकी प्रार्थना की ओर मार्ग दर्शन करने के लिए, गलतियों से बचने की चेतावनी, और अल्लाह की बताई हुईसीमायें लाँघने से बचने के सन्दर्भ में लगातार प्रयास किया है और हमें उन पवित्र प्रयासों से लाभ उठाने के लिए अवसर दिया है।

निशचित रूप से अल्लाह तआला ही सन्मार्ग की ओर मार्ग दर्शन करने वाला है।

प्रबंधक जामिया इस्लामिया इमाम मुहम्मद बिन सऊद

डह्क्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहिसन अत्तुर्की

प्रस्तवाना

अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बअद :

कुछ सामान्य व्यक्तियों और विशेष रुप से वह लोग जिन्हों ने पहले कभी हज या उमरः नहीं किया है, ऐसे लोग अधिक रूप से यह प्रश्न करते हैं कि वह अपने हज या उमरः के बीच क्या करें और क्या कहें? ऐसे ही व्यक्तियों के लिए मैंने यह एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, इसलिए कि सामान्य व्यक्ति कभी वह बातें समझ नहीं पाता है, जो ज्ञान शैली में लिखी जाती है, और उसके लिए मात्र इतना आवश्यक होता है कि उसके सामने कार्यों का विश्लेषण ऐसी शैली एवं ढंग में अभिव्यक्ति किया जाये, जिसे वह समझ सकता है।

लेखक

प्रिय हाजी! अपने हज और उमरः बल्कि अपने सभी कार्यों में सत्यता का उद्देश्य केवल अल्लाह तआला के लिए ही रखने का प्रयास करें, और यह भी प्रयास करें के हज और उमरः और अपने सभी कार्यों को अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार अदा करें, ता किे आपका कार्य ठीक और स्वीकार्य हो,इन दो शर्तों इख्लासे नीयत,और सुन्नते नबी की सहमति,के बिना कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं है। जब तथ्य यह है तो मैं आपको यह सुझाव देता हूँ के आप हज या उमरः करने से प्रर्थम मार्ग दर्शन पर आधारित इन नसीहतों को पढ़ लें, सम्भवतः कि आपको इनसे लाभ होजाए।

इसी तरह आप इस बात का भी प्रयास करें कि हज और उमरः के लिए आपके द्वारा खर्च किया जाने वाला धन हलाल मार्गों द्वारा अर्जित किया हुआ धन होना चाहिए, इस लिए कि हदीस पाक में आया है कि हराम मार्गों द्वारा अर्जित धन से किया हुआ हज स्वीकार नहीं होता है।

प्रथम बात एहराम (पद्धति को समझाना)

ध्यान दें कि हज या उमरः का प्रथम कार्य एहराम है, इसलिए यह जानना अवश्यक है कि एहराम किस स्थान से और किस समय बाँधा जाता है, एहराम बाँधने से कौन से कार्यों का करना उचित है, एहराम का मतलब क्या है, और वह पद्धतियों के प्रकार जिस के द्वारा आप एहराम बाँध सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एहराम बाँधने के समय एहराम के बाद कौन सा ज़िक्र करना चाहिए, और वह कौन सी चीजें है, जिन का करना एहराम बाँधने वाले व्यक्ति के लिए हराम होजाता है। इसलिए अगे आने वाली पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें

१ - एहराम बाँधने का स्थान

हुज़ूरे अकरम सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अस्थानों का निर्धारण किया है, जिससे हर व्यक्ति जो हज या उमरः की इच्छा रखता हो उस के लिए यह

मान्य नहीं कि वह उन स्थानों से एहराम बाँधे बिना आगे बढ़े, वह स्थान यह हैं।

१) **जुलहुलेफा** आज कल इस का नाम अब्यारे अली रखा गया है,यह मदीने मुनव्वरा के निवाासियों और उस ओर से हवाई मार्ग या ज़मीनी मार्ग की यात्रा के माध्यम से आने वाले लोगों के लिए मीक़ात (एहराम बाँधने का स्थान,है।

२) **अल-जुह्फा** यह राबिग नामक स्थान निकट तटवर्तीय मार्ग पर स्थित एक स्थान है।

लोग आज कल राबिग से ही एहराम बाँध लेते हैं,जब कि यह स्थान राबिग से कुछ पहले ही आता है, यह मीक़ात मगरिब मोरक्को,, सीरिया, मिस्र और उन देशों की ओर से हवाई, समुद्री या ज़मीनी मार्गों से यात्रा के द्वारा आने वाले व्यक्तियों के लिए है।

३) **यलमलम** आजकल इस स्थान का नाम अस-सादिया रखा गया है, ।

यह स्थना यमन देश और उस की ओर से आने वाले व्यक्तियों के लिए मीक़ात है।

४) **क़र्नुल मनाज़िल**

आज कल इस का नाम अस-सेल रखा गया है, यह नजद वालों के लिए और इस की ओर से ज़मीनी मार्ग या हवाई यात्रा के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों के लिए मीक़ात है।

५) **ज़ाते इर्क़**

यह इराक, और उस ओर से ज़मीनी मार्ग या हवाई यात्रा के माध्यम से आने वााले व्यक्तियों के लिए मीक़ात है।

६) जिस व्यक्ति का घर इन मीकातों के कतिथ स्थानों के निकट मक्का मुकर्रमः से निकट स्थित हो वह व्यक्ति हज या उमरः के लिए अपने घर से ही एहराम बाँध लेगा, मगर वह व्यक्ति जिसका घर मक्का मुकर्रमः में ही हो, तब वह व्यक्ति उमरः का एहराम बाँधने के लिए हरम से बाहार

निकल कर एहराम बाँधेगा, परन्तु हज का एहराम वह अपने घर से ही बाँध लेगा। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिस का गुज़र मीक़ात के स्थानों से हुआ है ,और उस की हज या उमरः करने की इच्छा न हो,

फिर बाद में उन स्थानों से प्रस्थान करने के बाद हज या उमरः का इरादा कर लिया हो, तब उस व्यक्ति को उसी स्थान से एहराम बाँध लेना चाहिए, जिस स्थान पर उसने हज या उमरः का इरादा किया है नीयत करने के बाद मक्का मुकर्रमः में एहराम के बिना प्रवेश ना करे।

२ हज के लिए एहराम बाँधने का समय

हज के लिए एहराम बाँधने के महीनों का निर्धारण करते हुए अल्लाह ताआला ने इर्शाद फरमाया :

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ﴿١٩٧﴾ ﴾ البقرة: ١٩٧

(हज के महीने जाने पहचाने हैं)

वह महीने यह हैं : शव्वाल, जुल कादः, जुल हिज्जः के दस दिन,

और जो व्यक्ति इन मीकातों के स्थानों से नहीं गुजरा है, वह उस समय एहराम बाँध ले,जब वह उन स्थानों की ओर, या उनके बराबर वाले स्थानों से गुजरे।

यदि कोई इन महीनों के आरम्भ होने से पहले हज के लिए एहराम बाँध ले, तब सभी उलमा की सर्व सम्मत अभिप्राय के अनुसार उसका हज उचित नहीं होगा।

और यदि किसी ने एहराम बाँध लिया, और दसवीं जिल्हज्जा की रात सुबहे सादिक़ से पहले अराफात में प्रवेश कर लिया, तब उसका हज उचित हो जायेगा। और जहाँ तक उमरः का प्रश्न है, तो उस के लिए किसी भी समय एहराम बाँधा जासकता है।

३. वह कार्य जिन का एहराम बाँधने से पहले करना वैध है

जब एहराम बाँधने की नीयत करें, तब उस से पहले आप के लिए एहराम की तैयारी करते हुए इन चीजों की तैयारी करना उचित है, वह चीजें यह हैं :

यदि नाखून काँटने की आवश्यकता लगती हो, तब इन को काटलें, मोंछ छोटी करलें, नाभि के नीचे और बग़ल के नीचे के बाल साफ करलें,

और यदि इन सभी चीज़ों को काटने की आवश्यकता नहीं लतगती हो, अर्थात इनसे किसी प्रकार की असुविधा इत्यादि की आशंका ना हो,

तब इन्हे साफ करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि आप ने अभी कुछ दिनों पूर्व इन चीजों को साफ कर लिया हो, तब यही पर्याप्त है।

अस्नान करें, जिससे पसीने की गंध, और अपने शरीर से लगे हुए अन्य दुसरे मैल को साफ करें। लेकिन स्मरण रहे कि स्नान(गुसुल) करते समय परदे

का ध्यान रखना चाहिए। यदि गुसुल का अवसर नहीं है। तब उसकी आवश्यकता नहीं है।

इ. पुर्ष अपने सभी सिले हुए कपडे, जैसे अंगो की लम्बाई के अनुसार सिले हुए कपड़े, बनयान और मोज़े इत्यादि सभी चीजें निकाल दें। वस्त्रों की जगह इज़ार एक कपड़ा जो कमर के नीचे के हिस्से को ढाँकने में उपयोग किया जाता है) रिदा (एक कपड़ा जो बदन के ऊपरी हिस्से को ढाँकने में उपयोग किया जाता है) का उपयोग करें, बिना सिलावट के कोई भी चप्पल पहन सकते है, और टखनों के नीचे तक रहने वाले जूते, मोजे के बिना पहन सकते हैं उचित यह है के तहबंद और चादर सफेद रंग वाली पवित्र और साफ हो,नई हो या पुरानी उससे कोई अंतर नहीं होगा।

स्त्री अपने चेहरे के लिए विशेष रूप से बनाये गए बुरक़े और निक़ाब उतार दें,और उस की जगह ओढ़नी दुपटटा, के माध्यम से अपना सर, और गैर महरिम अजनबी, व्यक्तियों से अपना चेहरा छुपाएँ

यदि यह ओढ़नी उस के चेहरे से चिपक जाये, तब उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है चेहरे से ओढ़नी को चिपकने से दूर रखने के लिए स्त्री का अपने सर पर कोई ऊंची चीज़ रखना, या पगड़ी के प्रकार कोई चीज बांधना आवश्यक नहीं है, क्यों कि यह सुन्नत में शामिल नहीं है।

स्त्री के लिए यह भी आवश्यक है कि वह एहराम के समय अपनी हतेलियों में पहने हुए किसी भी प्रकार के दस्ताने उतारदे, निक़ाब, बुरक़ा और दस्तानें या कोई भी ऐसी चीज पहनना उचित नहींहै, जिस में सजावट की चीज़ या आभूषण शामिल हैं, इस के अतिरित्क महिलाओं को कोई भी अन्य वस्त्र पहनने की अनुमतिहै। स्त्री के एहराम के लिए कोई निर्धारित रंग नहीं है,

और कुछ सामान्य व्यक्ति अनुमान करते हैं कि स्त्री के लिए विशेष रूप से हरे रंग के कपड़े से एहराम बाँधना आवश्यक है, इस अनुमान पर कोई हदीस या प्रमाण नहीं है, और इस प्रकार कुछ व्यक्तियों का यह

विचार भी है कि स्त्री के लिए सफेद रंग के कपड़े से एहराम बाँधना इस लिए उचित नहीं है कि उस में पुर्षों के साथ बराबरी होजाती है।

ई. स्नान (गुसुल) करने के बाद किसी भी प्रकार का सुगंध सरल रूप से मिल जाए, उसे सिर्फ अपने शरीर पर लागाएं, एहराम के कपड़ों पर ना लगाएं, फिर उस के बाद एहराम की नीयत करलें...

और स्त्री ऐसी सुगंध लगाए जो अधिक महकता ना हो जिस की सुगंध पुर्ष न ले सकते हों।

४. एहराम का अर्थ

महिलायें हर उस प्रकार के कपड़े से एहराम बाँधसकती है, जो सामान्य रुप से महिलायें अपने लिए वस्त्रों के रूप मेंउपयोग करती हैं, इस र्शत पर कि उस में सजावट की चीज़ या आभूषण न हों ।

ऊपर लिखे हुए कार्यों की तैयारी पूर्ण करलेने के बाद आप एहराम बाँध लें, और एहराम का अर्थ यह होता है।

आप हज या उम्रः आरम्भ करने की नीयत करें, जो आप अदा करना चाहते हैं जब आप ने दिल ही दिल में नीयत करली, और अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, तब भी आप हालते एहराम में शामिल हो जाएंगे अगर फर्ज़ नमाज़ों के बाद नीयत की जाए, तब अधिक श्रेष्ट है, और यदि फर्ज नमाज़ का समय ना हो, और आप ने एहराम से पूर्व दो रकअत अदाकरते हुए एहराम की नीयत कर लिया, तब इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि वह उस समय मना किया हुआ समय ना हो, जैसे फज्र और अस्र की नमाज़ के बाद का समय ना हो,क्यों कि मना किये हुए समय में आप दो रकअत नमाज़ पढ़े बिना ही एहराम बाँध लेंगे यदि आप अपने किसी मुसलमान भाई के प्रतिनिधित्व में हज या उमरः अदा कर रहेहैं, तब आप एहराम की नीयत उस व्यक्ति के

नाम पर करें,अथवा उसके साथ साथ यदि आप ने ”लब्बैका अल्लाहुम्मा अन फोलां (अए अल्लाह ! मैं यहाँ आप कीसेवा में,फलाने व्यक्ति कि ओर से आया हूँ) कहा, तब भी इस में कोई आपत्ति नहीं है।

तीन प्रकार के हज होते हैं :

तमत्तो, क़िरान,इफ्राद इन में सबसे सर्वश्रेष्ट तमत्तो है, फिर उसके बाद क़िरान और उस के बाद इफ्राद का स्तर है।

तमत्तो का अर्थ यह है कि आप हज के महीने अर्थात शव्वाल जुलकादा और ज़िल-हिज्जः के पहले दस दिन के दौरान मीक़ातों से उमरः के लिए एहराम बाँधने की नीयत करें,और उमरः के सभी कार्य पूर्ण हो जाए, तब आप अपना एहराम उतार दें, फिर उस के बाद मक्का मुकर्रमः से हज के लिए एहराम बाँधें, और यदि आप मस्जिदे हराम के निवासी नहीं हैं, तब तमत्तो अदा करने पर एक पशु फिदिया दें।

किरान

आप हज और उमरः के लिए एक साथ मीक़ात से एहराम बाँधें,या उमरः के लिए एहराम बाँधें, फिर उमरः खतम करने से पूर्व उस में हज की नीयत करलें, और ईद के दिन शैतान को कंकर मारने तक अपने एहराम ही में रहें, अपने बाल कटवाएं या मुडवाएं, और इस पर हज्जे तमत्तो अदा करने वाले की तरह एक पशु ज़बह करें।

इफ्राद आप सिर्फ हज के लिए मीक़ात से एहराम बाँधें, और ईद के दिन शैतान को कंकर मारने तक अपने एहराम में ही रहें, अपने बाल कटवाएं या सर मुडवाएं,,और आप पर कोई फिदिया अनिवार्य नहीं होगा। इस के बारे में अधिक विस्तार आगे आयेगी।

वह प्रार्थनाएं जो एहराम बाँधते समय और उस के बाद कहना उचित है :

यदि आप ने तमत्तो के लिए एहराम बाँधा है, तब आप के लिए यह प्रार्थना करना उचितहै

अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल एहराम बिलउमरः मुतमत्तिअन बिहा इलल हज फयस्सिरली वतक़ब्बलहा मिन्नी।

अनुवाद :ऐ अल्लाह मैंने उमरः के लिए एहराम बाँधा है, और उसके साथ हज करने का भी संकल्प है, इस लिए तू मेरे लिए इसको सरल बना और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर,।

या यहप्रार्थना (तलबिया) पढ़ें

लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरः मुतमत्तिअन बिहा इलल हज।

अनुवाद : लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं ने उमरः के साथ हज करने का संकल्प किया है,।

और यदि आप ने हज्जे क़िरान के संकल्प से एहराम बाँधा है, तब आप यह प्रार्थना करें

अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल एहराम बिल उमरः वल हज्ज।

अनुवाद : ऐ अल्लाह मैंने उमरः और हज के लिए एहराम की नीयत की है।

या यह प्रार्थना करें

लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरःवल हज्ज

अनुवाद : ऐ अल्लाह मैंने हज और उमरः के लिए एक साथ नीयत की है,

इ. यदि आपने हज्जे एइफराद के लिए नीयत की है, तब यह प्रार्थना करें

अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल एहरामा बिलहज्ज

अनुवाद : ऐ अल्लाह मैंने हज के लिए एहराम बाँधा है,,

या यह प्रार्थना करें :

लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन

अनुवाद : ऐ अल्लाह मैं हज की अदाइगी के लिए तेरे दरबार में उपस्थित हुँ।

यदि आप को असवस्थता महसूस हो रही है, और आपको यह आशंका है कि आप हज या उमरः पूर्ण नहीं कर सकते, तब आप एहराम की नीयत के दौरान नियम रखते हुए यह कह सकते हैं

कि यदि किसी विविशता ने मुझे घेर लिया,

तब मेरा वही अंतिम सथान होगा जहाँ मुझे विविशता ने मुझे घेर लिया होगा,

यदि आप अपनी अस्वस्थता के कारण अपनी प्रार्थना पूर्ण करने में असफल हों तब आप एहराम उतारदें,

और आप पर कोई फिदया इत्यादि आवश्यक नहीं होगा, इस लिए कि वह अधिकार आपको प्राप्त है, जो आप ने संकल्प के दौरान अपने प्रभु से नियम के रूप में कहा था। जैसा कि हदीसे पाक में इस का स्पष्टीकरण आया है।

जब आप एहराम का संकल्प कर लें, तब आप यह तल्बियः पढ़ें।

लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका लाशरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व न्नेमता लक व वल मुल्क लाशरीका लक लब्बैक।

अनुवाद : (ऐ अल्लाह! मैं यहाँ हूँ कि तेरा कोई भागीदार नहीं है और नियमित रूप से सभी प्रशंसायें, कृपा और प्रभुत्व तेराहै, और तेरा कोई भागीदार नहीं है)"। पुर्ष व्यक्ति ऊंचे स्वर में और स्त्रियां निचले स्वर में तल्बियः पढ़ें।

महतवपूर्ण स्पष्टीकरण

प्रथम स्पष्टीकरण स्त्रियों को एहराम से पूर्व माहवारी या रक्त रिसाव हो जाये,तब वह स्नान (गुसुल) करेगी, पवित्रता प्राप्त करेंगी सुगंध लगाएंगी, और अन्य हाजियों के प्रकार वह भी एहराम बाँधलेंगी और उसी प्रकार माहवारी या रक्त रिसाव एहराम के बाद हो जाये, तब वह एहराम की स्थिति में ही रहेंगी, और अन्य हाजियों के प्रकार सभी प्रार्थनाएं अदा करेंगी, लेकिन वह तवाफ नहीं करेंगी, वह रक्त रिसाव बंद

होने तक तवाफ को विलम्बित करेंगी । और जब कोई स्त्री हज्जे तमत्तो के संकल्प के साथ एहराम बाँधेगी,और अरफा के दिन तक उसकी माहवारी बंद ना हुई हो, तब वह हज का संकल्प कर लेगी, और फिर हज में उमरः को शामिल कर लेगी, इस प्रकार वह हज्जे क़िरान करने वालों मे शामिल हो जाएगी,यहस्त्री मैदाने अरफा पहुँच जाएगी, और वह सभी कार्य करे गी, जो सामान्य हाजी करते हैं, लेकिन वह तवाफ और सयी (सफा और मवराह पर्वतों के बीच चल ना) नहीं करेगी, इन दोनों कार्यों को अपनी माहवारी बंद होने तक विलम्बित करेगी।

छोटे बच्चों के लिए अपने आप से एहराम बाँधना ठीक है, इस शर्त पर कि बच्चे बुद्धिमान हों, और बुद्धिमान ना हों, तो उस का निगहबान उस की ओर से संकल्प कर लेगा और एहराम की सूरत में जो चीज़ें मना हैं उस से बच्चों को दूर रखेगा।

दूसरा स्पष्टीकरण :

वायुयान में यात्रा करने वाले हाजियों के लिए आवश्यक है कि जब वह मीक़ात के किसी एक स्थान के बराबर से गुज़रने लगें, तो आसमान में ही वह एहराम बाँधलें, और उसके लिए जिद्दः विमानाश्रय पर उतरने तक एहराम को रोके रखना उचित नहींहै,इस लिए के जिद्दः सिर्फ जिद्दः के निवासियों के, लिए और उस व्यक्ति के लिए ही मीकात के आदेशों में है, जिसने वहाँ पहुँचने के बाद ही हज या उमरः का संकल्प किया है, दुसरे सामान्य व्यक्तियों के लिए जिद्दः मीकात नहीं है।

यदि वायुयान पर चढ़ने से पूर्व ही स्नान (गुसुल) कर लिया है, पवित्रता प्राप्त करली है, और अपने कपड़ों के नीचे तहबंद पहन लिया है,तो जब मीकात के बराबर वाले स्थान , या उस के निकट से गुजरें, तब तह-बंद के ऊपर पहने अपने कपड़े उतारलें, शरीर को चादर से ढाँकलें, और एहराम का संकल्प करलें, तो अधिक श्रेष्ट होगा।

यदि वायु मार्ग से यात्रा करने वाले के पास एहराम के लिए कपड़ा ना हो, तब वह पैजामा या पतलून को छोड़ कर अन्य कपड़े उतार ले, और उन कपड़ों को अपने काँधे के साथ साथ पीछे और सीने के चारों ओर लपेट ले, और एहराम का संकल्प करले, और जब विमाना श्रय पर उतरने के बाद जैसे ही उस को एहराम का कपड़ा मिल जाये, वह उसको पहन ले और अपना पैजामा या पतलून उतारले।

स्त्रियों के एहराम के लिए कोई विशेष कपड़े नहीं हैं, इस लिए वह अपने शरीर के कपड़ों के साथ ही एहराम का संकल्प करलें, लेकिन वह बुरक़ा निकाल देंगी, और उस की जगह ओढ़नी या दुपट्टे से अपने सर को ढाँक लेंगी, इसी प्रकार वह अपने हाथों में पहने हुए दस्ताने इत्यादि भी निकाल देंगी, जैसा कि पिछले पन्नों में विवरण किया गया है (१)

(१)और वह अजनबी पुरुषों की नजरों से अपने हाथों को छुपाने के लिए अपने कपड़ों या कुर्ती की सहायता लें सकती हैं।

तीसरा स्पस्टीकरण

कुछ हाजी लोग जब एहराम बाँध लेते हैं, तो यादगार के रूप में सुरक्षित रखने के लिए वह अपना चित्र लेते हैं, इन हाजियों का यह कार्य दो कारणों से हराम है :

प्रथम कारण चित्रकारी गुनाहे कबीरा है. . .

दूसरा कारण चित्रकारी का यह कार्य ढोंग में शामिल होता है, क्योंकि चित्र लेने वाला व्यक्ति यह चाहता है कि अन्य लोग एहराम की स्थिति में लिए गए उस के चित्रों को देखें, ढोंग सर्वश्रेस्ट कार्य को व्यर्थ करदेता है, इस लिए मुसलमान इस चित्रकारी से दूर रहो।

चौथा स्पष्टीकरण

किसी व्यक्ति का प्रतिनिध बन कर हज या उमरः करने वालों के लिए यह शर्त है कि उन्हों ने पहले अपने लिए हज या उमरः करलिया हो।

पाँचवा स्पष्टीकरण

कुछ हाजी लोग एहराम बाँधने के बाद अपना दाहिना काँधा खुला रखते हैं, इन का यह कार्य बिलकुल गलत है, इस लिए कि यह कार्य सिर्फ तवाफ के दौरान ही किया जाना चाहिए।

इस लिए इन के लिए यह ठीक नहीं है कि वह गुनाह से अपनी प्रार्थना को आरम्भ करें। यहाँ उद्देश्य वह तवाफ है , जो हाजी अपने आने के तुरंत बाद उमरः के लिए, या हज के लिए आगामी तौर पर करता है ।

७. वह कार्य जिन का एहराम के संकल्प बाद करना हराम है

अ. एहराम का संकल्प कर लेने के बाद पुरुष या स्त्री सबके लिए हर प्रकार की सुगंध अपने शरीर या कपड़ों पर लगाना हराम है, और इसी प्रकार अपनी इच्छा से जाकर सुगंध को सूँघना, और सुगंध वाली चीज़ों का उपयोग करना, जैसे सुगन्धित खाने - पीने की चीजें, सुघंद वाला तेल और साबुन का उपयो करना हरामहै।

आ. पुरुष या स्त्री सभी पर किसी वस्तु के माध्यम से अपने सर या शरीर के बाल निकालना, और नाखून काँटना हरामहै।

इ. पुरुष या स्त्री सभी पर किसी भी प्रकार के उपकरण के माध्यम से कोई भी पशु या पक्षी का शिकार करना, और शिकार करने में किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, या संकेत और उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के माध्यम से श्किार करने में मार्गदर्शन करना हरामहै।

ई. पुरुष या स्त्री सभी का संभोग करना, और उस के कारण, जैसे मंगनी करना, या शादी करना, या उस के बारे में बात करना हराम है।

उ. विशेष रूप से पुरुष व्यक्तिके लिए किसी ऐसी चीज से अपना सर ढाँकना, जो सर से चिपकी रहे, जैसे पगड़ी टोपी, रुमाल इत्यादि से अपना सर छुपाना हराम है, परन्तु छाता इत्यादि को छाया के लिए उपयोग करने से कोई मनाही नहीं है। जैसे वाहनों की छत या तम्बू से ।

ऊ.विशेष रूप से पुरुष व्यक्ति के लिए सिले हुए कपड़े, जैसे कुरता, बनयान और मोज़े इत्यादि पहनना हराम है, और अपने खर्च की धन राशि रखने के लिए कमर पर पेटी बाँधना, ऐनक और घड़ी पहनने (और अँगूठी पहनने) में कोई आपत्ति नहीं है, इसी प्रकार चप्पल, और टखनों से नीचे रहने वाले मोज़े पहनने में भी कोई आपत्ति नहीं है, और चप्पल पहनना श्रेष्टतर है ।

ऋ. स्त्रियों के लिए बुरक़ा, निक़ाब और उनके चेहरे के नाप के अनुसार से बनी हुई वस्तुयें पहनना हराम है । इसी प्रकार दस्ताने पहनना भी हराम है।

दस्तानों का अर्थ वह वस्तु जो कपास या ऊन इत्यादि से हथेलियों के नाप के अनुसार से सिले या बुनेजाते है ।

मस्जिदे तनईम में की जाने वाली गलतियों पर स्पष्टीकरण

अधिकतर हाजी लोग मस्जिदे तनईम इस विश्वास से जाने लगे हैं कि मस्जिदे हराम में प्रवेश से पूर्व इस मस्जिद में नमाज पढ़ना मसनून है, और कुछ हाजी साहिबानतो कभी कभी अपने मार्ग में पड़ने वाले मीकाात में एहराम इस लिए नहीं बाँधते हैं,ताकि वह मस्जिदे तनईम से एहराम बाँधे, और मक्का मुकर्रमः के कुछ निवासी महानुभाव तो उमरःका एहराम बाँधने के लिए मस्जिदे तनईम जाया करते हैं, क्योंकि उन हाजी महानुभाव का यह विश्वास है कि मस्जिदे तनईम को एक विशष श्रेष्टता प्राप्त है,जिसके कारण वह अधिकतम वहाँ जाया करते हैं। इस विश्वास को सामने रखते हुए यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि इस मस्जिद को अन्य मस्जिदों की तुलना में कोई विशेष श्रेष्टता या विशेष लाभ प्राप्त नहीं है, इस लिए यहाँ चर्चित विश्वास के आधार पर

यहाँ जाना बिदअत में शामिल होगा, क्योंकि नबी पाक सल्ललाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे, जो हमारे बताये हुए काकर्यों में से ना हो, तब उस का यह कार्य अस्वीकार्य है।

मस्जिदे तनईम जान बूझकर जाना, और बार बार जाना ना आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लिम और ना आप के सहाबए कराम रिजावानुल्लाह अलैहिम अज्मईन का कार्य था, जब कि यह मस्जिद आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम के समय में मौजूद ही नहीं थी, यह मस्जिद आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम के समय के बाद बनाई गई, और इस का नाम मस्जिदे आयशा रखा गया,और इसमस्जिद का यह नाम रखने का एक मात्र कारण यह है कि हजरत आयशा रजिअल्लाहु अन्हा ने इस स्थान से एहराम बाँधा था इस स्थान से सम्बंधित हुजूरे अकरम सल्ललाहु अलैहि वसल्लम के समय में यह घटना हुई थी कि हजरत आयशा रजिअल्लाहु अन्हा ने आप

सल्ललाहु अलैहि वसल्लम से यह अनुरोध किया था कि वह उन्हें हज के बाद उमरः करने की अनुमति दें, इस लिए कि हजरत आयशा रजिअल्लाहु अन्हा ने अलग रूप से उमरः नहीं किया था, क्योंकि इन्हो ने माहवारी के कारण से हज के साथ मिलाकर उमरःकिया था, इस लिए हजरत आयशा रजिअल्लाहु अन्हा ने आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम से अलग रूप से उमरःकरने की अनुमति माँगी,तब आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि वे मस्जिदे तनईम जाएँ,और वहाँ से उमरः के लिए एहराम बांधलें, क्योंकि यह सबसे निकटतम स्थान था,और यहाँ से एहराम बाँधना उनके लिए बहुत सरल था ।

इस स्थान को हरम के अन्य के स्थानों की तुलना में कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है,और कुछ व्यक्ति यह विश्वास रखते हैं के इस स्थान को अन्य स्थानों

पर श्रेष्ठता प्राप्त है,उन का यह विश्वास बिना किसी संभावना के पूरी तरह गलतहै..

इस लिए इस विश्वास से मस्जिदे तनईम जाना बिदअतहै, और जो भी व्यक्ति मीकात को छोड़ कर मस्जिदेतनईम से एहराम बाँधे, ऐसा व्यक्ति हराम कार्य करने वालों और हज या उमरः के आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता को छोड़ने वाला होगा, और इस पर एक फिदिया आवश्यक होगा, अथार्त वह एक बकरी ज़बह करेगा, और मक्का मुकर्रमः के गरीबों में उस का माँस बाँटेगा,और यह व्यक्ति मीकात से एहराम ना बाँधने के कारण से पापी भी होगा, और उसे अपने किये गए कार्य के लिए तौबा करना होगा, और हम ने अभी जो ऊपर फिदिया के बारे में कहा था, वह फिदिया तो उस पर आवश्यकहै।

और जो व्यक्ति मक्का मुकर्रमः पहुँचने के बाद मस्जिदे हराम ना जाए, और मस्जिदे हराम जाने से पूर्व मस्जिदे तनईम पहुँच कर वहाँ नमाज अदा करे,तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पापी और उस का यह कार्य बिदअत

है, क्योंकि एहराम बाँधने वाले व्यक्ति के लिए उचित यह है कि वह मक्का मुकर्रमः पहुँचने के बाद मस्जिदे हराम जाए,काबतुल्लाह का तवाफ करे, और यदि उपयुक्त है तो सफा और मरवा के बीच सयी करे, या अगर हज्जे किरान या हज्जे इफ्राद करने वाला है तो तवाफे कुदूम करे, मस्जिदे तनईम ना जाए और ना कोई अन्य मस्जिद जाए-और हज से पूर्व या हज के,बाद या हज के दिनों के अतिररक्त अन्य समय में उमरः का दोबारा एहराम बाँधने के लिए मस्जिदे तनईम जाना अनुचित और श्रेष्ठता के विपरीत है, इस लिए के हरमे मक्की में रहना, इसमें नमाजें पढ़ना, और काबतुल्लाह का तवाफ करना, तनईम या उस के अतिररक्त कोई अन्य स्थानों से उमरः के लिए दोबारा एहराम बाँधने से श्रेष्ट है अल्लाह तआला अधिक श्रेष्टतम जानताहै।

२. मस्जिदे जिअराना में की जाने वाली गलतियाँ

ج क नीचे ज़ेर, ع पर जज़्म और ر ا की तख्फीफ अर्थात बिना तशदीद, के,कभी कभी ع के नीचे ज़ेर

और ا ر के तख्फीफ के साथ पढ़ना और यही अधिक उचितहै।

यह स्थान मक्का मुकर्रमः और ताइफ के बीच एक स्थान का नाम है, जो मक्का मुकर्रमः से अधिक निकटतम है। ना तो इस स्थान की और ना ही इस स्थान पर बनाई गई मस्जिदों की, हरमे मक्की से बाहर बनाई गई अन्य मस्जिदों की तुलना में कोई विशेष श्रेता है, जैसा की कुछ व्यक्तियों का यह विचार है।

और निश्चित रूप से आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन से मक्का

मुकर्रमः आ रहे थे, तब आपके मक्का मुकर्रमः जाने के मार्ग में यह स्थान आया था, और आपने यहाँ से एहराम बाँध लिया था, इस लिए कि आप ने इसी स्थान से उमरः का संकल्प किया था और यह स्थान मक्का मुकर्रमः के मार्ग में पड़ रहा था।

ना आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम कभी जिअराना से एहराम बाँधने के संकल्प से, या उसमें नमाज पढ़ने के इरादे से वहाँ की यात्रा के लिए निकले हैं और ना आप के सहाबये कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अज्मईन।

अब यह कुछ व्यक्ति जो मक्का मुकर्रमः से प्रस्थान कर जिअराना की ओर जा रहे हैं, ताकि वहाँ से उमरः के लिए एहराम बाँधे, या इस में नमाज अदा करें, उन का यह कार्य ना आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम से और ना आपके सहाबाए कराम से प्रमाणित है।

और न ही अविश्वसनीय उलेमा ने इसको सही समझा है, यह कार्य तो कुछ साधारण व्यक्तियों का है, जिन का यह अनुमान है कि यही सुन्नत है,वास्तविक प्रकार यह सुन्नत में शामिल ही नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने उस समय उस स्थान से एहराम बाँधा,जब कि आप मक्का मुकर्रमः में प्रवेश कर रहे थे और सुन्नत यही है कि जब कोई ताइफ

या उस के निकटतम के स्थानों से मक्का मुकर्रमः में प्रवेश कर रहा है तब वह जिअराना या उसके अतिररक्त उन स्थानों से एहराम बाँधे, जो उस के मार्ग में हरम की सीमाओं से निकटतम है।

दूसरी बात वह कार्य जो मक्का मुकर्रमःपहुँचने के बाद किये जाते हैं

१ - हज्जे तमत्तो करने वाले हाजी के कार्य

जब आप मक्का मुकर्रमः पहुँच जाएँ, और आप ने हज्जे तमत्तो का संकल्प कर लिया है, तब आप उमरः के आचार (विधियाँ) अदा करें,अर्थात काबतुल्लाह का सात तवाफ उमरः के संकल्प से करें,हर तवाफ हज्रे असवद से आरम्भ करते हुए उस पर ही अंत करें।

जब आप के सात तवाफ हो जाएँ तब आप मताफ (तवाफ के स्थान)से बाहर निकल जायें, और दो रकअत नमाज पढ़ें, इस प्रक्रिया में श्रेष्टतमय है कि यदि संभव हो तो मुकामे इब्राहीम पर यह नमाज अदा

करें, यदि यह संभव नहीं है तो मस्जिदे हराम के किसी भी स्थान पर पढ़ लें, इस के बाद उचित यह है कि ज़मज़म का पानी पिया जाए,फिर सफा की ओर आगे बढ़ें, और सफा और मरवः के बीच सयी की जाए, इस प्रकार कि पहली सयी सफा से आरम्भ करें, और मरवा पर अंत करें, और दूसरी सयी मरवा से आरम्भ करें और सफा पर अंत करें, और इस प्रकार सात सयी पूरी करें,ध्यान रखें कि आप का सफा से मरवः की ओर जाना एक सयी में गिना जाता है, और उसी प्रकार मरवः से सफा की ओर जाना दूसरी सयी के रूप में गिना जाता है।

इस के बाद पुरुष अपने सर के सभी बालों को मुंडवाएं और महिलायें अपने लटके हुए बालों में से उंगली के पोर के बराबर अपने बाल कटवायें, चाहे उस की चोटी बनी हुई हो या खुली हुइ हो इस प्रकार यहाँ उमरः पूरा हो जाता है। अब आप अपना एहराम उतार सकते हैं, और आप के लिए वह सभी

चीजें हलाल हो जाती हैं, जो एहराम की स्थिति में आप के लिए हराम थी।

ध्यान दें : उमरः के अंश(अर्कान) यह हैं, एहराम, तवाफ और सयी।

उमरः के वाजिबात यह हैं, उमरः का एहराम किसी निर्धारित मीकात के स्थान से बाँधना, और बाल मुंडवाना या छोटे कराना।

२ –हज्जे किरान और हज्जे इफ्रादः करने वाले हाजी साहेबान के कार्यः

जब आप मक्का मुकरम्मः हज्जे किरान या हज्जे इफ्रादः करने के संकल्प से पहुँचें, तब आप के लिए उचित यह है कि तवाफे कुदूम के इरादे से काबतुल्लाह का तवाफ करें,और उस के बाद तवाफ की दो रकअत नमाज अदा करें, फिर यदि आप हज्जे किरान करने की इच्छा रखते हैं,

और क़िरान की सई को पहले करना चाहते हैं या हज्जे इफ्रादः करने की इच्छा रखते हैं,और उस की

सई को पहले करना चाहते हैं और तवाफे कुदूम के बाद सई कर लेते हैं तो यह जायज़ है और यदि लेट करना चाहते हैं तो तवाफे इफाज़ा के बाद कर लें फिर तवाफे कुदूम के बाद मीकात से बांधे हुए अपने एहराम में ईद के दिन तक शेष रहेंगे।

महत्व्पूर्ण स्पष्टीकरण :

प्रर्थम स्पष्टीकरण :

तवाफ के ठीक होने के कुछ नियम हैं, नियत करना, और नीयत करने का स्थान दिल है, जिहवा (जुबान) से नीयत नाक रें। पाक होना और अपने गुप्तागों को छिपाना। पूरे सात बार काबतुल्लाह का तवाफ करना। हर तवाफ हज्रे असवद से शुरू हो कर हज्रे असवद ही पर समाप्त होगा। काबतुल्लाह को अपने बाईं ओर रखें। हिज्रे इस्माइल के पीछे से तवाफ करें, यदि आप ने हिज्रे इस्माइल को पार किया है अर्थात उसके सामने से तवाफ किया है, तब आप का एक चक्कर पूरा नहीं होगा,क्योंकि हिज्रे इस्माइल का अधिकतम भाग काबतुल्लाह मे शामिल है।

दूसरा स्पष्टीकरण :

तवाफे उमरः और तवाफएकुदूम में उचित यह है कि पुरुष व्यक्ति अपना दाहिना काँधा बाहर एहराम से, रखे, यदि संभव हो तो पहले तीन चक्कर अकड़ कर तनकर, चले, इस प्रकार कि पैरों को निकट रखते हुए तेज़ चलने का प्रयास करे। इसे रमल कहते हैं।

तीसरा स्पष्टी करण :

तवाफ और सयी के लिए कोई विशेष दुआ नहीं है, लेकिन इन दोनों प्रार्थानाओं के बीच जो दुआ सरलता से याद आजाए, वह दुआ पढ़लें, या

तकबीर अल्लाहुअकबर(अल्लाहसबसेबड़ाहै)

और तहलील लाइलाह इलाअल्लाह

अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य प्रभु नहीं है कहता रहे। या फिर कुरआने करीम की आयतों का पाठन करे।

कोई भी व्यक्ति भीड़ को धक्का दे कर हज्रे असवद को छूने का प्रयास न करे। हज्रे असवद के पास भीड़

भाड़ के इकठा होने से बचें। यदि संभव हो तो अपने हाथ से उसे छूएं और उस का चुंबन लें, अन्यथा उस के बराबर खड़े हो कर दूर से ही इस की ओर संकेत करना पर्याप्त है। रुक्ने यमानी को छुए उस का चुम्बन ना करे, यदि उस को छूना असंभव हो, तो आगे बढ. जाएँ, उस की ओर संकेत करने की भी आवश्यकता नहीं है।

चौथा स्पष्टीकरण :

सयी के उचित होने के लिए संकल्प करना, तवाफ के बाद सयी करना, और पूरे सात बार सयी करना आवश्यक है।

सात बार में से प्रत्येक सयी सफा और मरवः के बीच पूरी तरह से की जाए।

पाँचवा स्पस्टीकरण :

जब नमाज के लिए इकामत दी जाए, और हाजी तवाफ या सयी में व्यस्त हों, तो वह अपना तवाफ या सयी उसी स्थान पर रोक दें और जमात के साथ

नमाज अदा करें, फिर जब नमाज अदा करलें तब अपने तवाफ या सयी को वहीं से प्रारम्भ करें जहाँ पर अपनी प्रार्थना की प्रक्रिया रोकी थी।

अर्थात जिस चक्कर पर रुका था, उसी को प्रारम्भ करें।

तरविया के दिन के कार्य :

तरविया : जिल्हज्जा के आठवें दिन को कहते हैं। उस दिन हज्जे तमत्तो करने वाले ही व्यक्ति अर्थात जिस ने अपने उमरः का ऐहराम खोल दिया हो, उस के लिए उचित यह है कि वह चाश्त (सूर्योदय के ३०मिनट के बाद) के समय हज के लिए ऐहराम बाँध ले। ऐहराम बांधने से पहले यह वही कार्य करेगा, जिस प्रकार उसने मीकात के स्थान पर किया था, आर्थात पवित्रता प्राप्त करेगा, स्नान (गुसुल) करेगा, और सुगंध लगायेगा, फिर उस के बाद वह उसी स्थान पर एहराम बाँध लेगा जहाँ उस का निवास है। लेकिन हज्जे क़िरान या हज्जे इफ्राद करने वाला व्यक्ति मीक़ात से एहराम ही की हालत में शेष रहेगा। सभी

हाजी हज्जे तमत्तो हज्जे किरान या हज्जे इफ्राद करने वाले व्यक्ति,जोहर से पहले मिना की ओर प्रस्थान करेंगे निवासी हेतु काब'तुल्लाह नहीं जायेंगे बल्कि अपने घर से सीधे मिना की ओर जायेंगे, जोहर, अस्र, मगरिब और इशा, यह सारी नमाजें उन के समय में पढ़ेंगे और चार रकअत वाली नमाजों को दो-दो करके संक्षिप्त के साथ पढ़ेंगे।

नौ जिल्हिज्जा की रात मिना में बितायेंगे और यहीं पर नमाजे फज्र अदाकरेंगे। जिल्हिज्जा की नवीं रात मिना में बिताना सुन्नत है, यदि कोई रात नहीं भी बिताये तो उस में कोई आपत्ति नहीं है जो व्यक्ति तरवियः के दिन से पहले मिना पहुँच जाए, वह तरवियः के दिन मिना ही से अन्य लोगों के प्रकार चाश्त के समय एहराम बाँध लेगा और अपने पड़ाव पर ही रहेगा।

४, अरफा का पड़ाव और उसके कार्य

जब नौ जिलहिज्जा का सूरज उगता है तब सारे हाजी साहिबनान बड़ी शांति और शिष्टिता से और तल्बियाः

पढ़ते हुए मिना की ओर निकल पड़ते हैं,जब मिना पहुंच जायें, तो मैदान मिना की सीमाओं के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त करलें, फिर उस में ठहरने का प्रबंध करलें, अर्थात जहाँ भी स्थान उपलब्द हो वहाँ ठहर जायें। मिना पर्वत की ओर जाना, उसे देख ना और उस पर चढ़ना आवश्यक नहीं है। जब सूरज ढल जाये जोहर और अस्र की नमाज को दो दो रकात करके जमा तक्दीम कर के एक अजान और दो इक़ामातों के साथ अदा करें। फिर प्रार्थाना करें और अल्लाह ताआला के सामने विन्म्रता के साथ दुआ करलें, प्रार्थना के समय क़िबला रुख होजायें।

सूरज डूबने तक प्रार्थाना एंव मिन्नत में संलग्न रहें, फिर जब सूरज डूब जाये मुजदलिफः की ओर निकल पड़ें, और जो व्यक्ति सूरज डूबने से पहले अरफा से निकल जाये, उस के लिए यह आवश्यक है कि वह फिर यहाँ लौट आये, और सूरज डूबने तक यहाँ रुका रहे। यदि वापस ना आये, तब वह पापी होगा और उस पर फिदिया अनिवार्य होगा। जब हाजी

साहेबान सूरज डूबने के बाद मैदाने अराफात से वापिस लौटने लगें। तब उन के लिए यह आवश्यक है कि शांति और शिष्टता का प्रदर्शन करें, और तल्बियाः और इस्तिगफार (अल्लाह से माफी माँगने) में व्यस्त रहें।

महत्व पूर्ण स्पष्टीकरण

जो व्यक्ति सूरज डूबने के बाद मैदाने अराफात पहुंचा हो, तो उस के लिए कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकना भी प्रयाप्त है यहां तक कि अगर वह यहां से गुज़र भी जाये तो पर्याप्त है।

और ईद की रात फज्र होते ही अराफात का समय समाप्त हो जाताहै।

५ - मुजदलिफःमें रात बिताना

जब हाजी साहबान मुजदलिफः पहुँचें, तो वे मगरिब और इिशा दोनों नमाजों को एक साथ एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ अदा करें,जिस में इशा को संक्षिप्त करते हुए सिर्फ दो रकअत पढ़ी जाएगी।

फिर वह मुजदलिफः में उतर कर यहाँ रात बितायेंगें। जब आधी रात बीत जाये, कमजोर स्त्रियों, बच्चों, बड़ी उमर के व्यक्तियों, और ज़रूतमंदों के लिए स्वस्थ व्यक्तियों का उन कमजोरों की सहायता एंव सेवा के उद्देश्य से मुजदलिफः से मिना की ओर प्रस्थान करना उचित है, और जो लोग स्वस्थ व शक्तिशाली हैं, जिन के साथ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है,तो उनके पक्ष में अधिक सावधानी का पहलू यह है कि वे लोग सुबह के समय तक मुजदलिफः में रात बितायें,फिर सुबहके प्रारंभ होते फज्र की नमाज पढ़ें औरसूरज उगने पहले तक अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाएं और प्रार्थाना में व्यस्त रहें। इस के बाद सभी हाजी महानुभाव सूरज उगने से पहले पहले मिना की ओर चल पड़ें। ध्यान रहे कि आधी रात बीतने से पहले मुजदलिफः से निकलना उचित नहीं है । जो व्यक्ति आधी रात से पहले मुजदलिफः से निकले, तो वह गुनहगार होगा, यदि वह वापस न लौट आये,तब उस पर एक फिदिया वाजिब होगा क्योंकि मुजदलिफः में रात

बिताना हज के वाजिबात में से एक वाजिब है, और रात बिताने का न्यूनतम समय आधी रात तक ठहरना है। और जो आधी रातके बाद मुजदलिफः पहुँचे,तो उस के लिए थोड़ा समय भी यहाँ तक कि मुजदलिफः से गुज़रना भी पर्याप्त होगा।

६ - ईद के दिन किये जाने वाले हज के कार्य :

जब हाजी मुजदलिफः से मिना की ओर निकल पड़े,तो वह मुजदलिफः से, या अपने मार्ग से शैतान को मारने के लिए सात कंकरियां उठा ले हर कंकर चने के दाने से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जब हाजी साहिबान मिना पहुँच जायें, तो उन के लिए उचित यह है कि वह पहले जमरतुल अक़बः (बड़े जमरा) को कंकरियां मारें। सात कंकर लगातार मारें हर कंकर मारते समय अपना हाथ उठायें, और अल्लाहु अकबर कहें। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर कंकर गढे में गिरना चाहिए, इस में कोई आपत्ती नहीं कि गढ़े में गिरने के बाद कंकर गढ़े में ही रह जाए, या कंकर बाहर निकल जाए,

जमरतुल अक़बः को कंकर मारने का समय दसवीं जिलहिज्जाकी आधी रात से होता है,और उस दिन के सूर्यास्त होने तक शेष रहता है। स्वस्थ शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए बेहतर है कि वे दसवीं जिलहिज्जा के दिन सूर्योदय होने के बाद कंकरियां मारे। जमरतुल अक़बः को कंकरियां मारने के बाद हर वह व्यक्ति जिस पर कुरबानी वाजिब हो, जैसे उदाहरण के लिए कोई हज्जे ततम्मतो या हज्जे किरान करने वाला है, तो वह अपनी कुरबानी जबह करे।(यही आदेश नफल कुरबानी करने वाले के लिए भी है)।

कुरबानी का समय ईद के दिन सूर्योदय के बाद से शुरू होता है, और तेरह तारीख के सूर्यास्त होने तक रहता है, यानी ईद का दिन, और उस के बाद के तीन दिन कुरबानी का समय है। उचित यह है कि अपनी कुरबानी का माँस खुद भी खाये,कुछ भाग लोगों को भेंट के रूप में पेश करें, और कुछ भाग दान भी करें।

कुरबानी करने के बाद पुरुष व्यक्ति अपना सिर मुँड़ावाएं या अपने सिर के सारे बालों को छोटा करवाएं, महिलाओं के पक्ष में केवल बाल छोटे करवाने का आदेश है, इस रूप में कि वह अपनी चोटीयों में से प्रत्येक चोटी के बालों को उंगली के पोर की मात्रा में कटवाये, यदि उनकी चोटीयाँ ना हों, तो वह अपने बालों को एक स्थान पर कर के उन के किनारों से उंगली के पोर की मात्रा में अपने बाल कटवाये। उस दिन जब हाजी जमरतुल अक़बः को कंकरियां मार ले, अपने सिर के बाल मुंडवा लें या छोटे करवाले, तो वह अपना एहराम उतार सकता है, फिर उस के एहराम बाँधने की वजह से जो चीजें हराम थीं,जैसे सिले हुए कपड़े पहनना, सुगंध लगाना इत्यादि,यह सभी चीजें हलाल हो जाएँगी, लेकिन उस के लिए तवाफे इफादः करने तक अपनी पत्नी के साथ संभोग करना हलाल नहीं होगा फिर कंकरियां मारने,जानवर जबह करने, या अपने बाल मुंडवाने या छोटे करवाने के बाद अगर वह सरलता एंव सुविधा के साथ मक्का मुकर्रमः जा सकता है, तो जाये, तवाफे इफादः करे,

यदि वह हज्जे किरान या हज्जे इफ़्राद के बाद सयी करे,इसी प्रकार हज्जे किरान या हज्जे इफ़्राद करने वाला हो, और तवाफे कुदूम के बाद सयी ना की हो, तो वह भी सयी करे। उस दिन तवाफ करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि हाजी चाहे तो उस को रोक सकता है। उस तवाफ का समय दसवीं जिल्हिज्जा की आधी रात से आरम्भ होता है, और उस का समय समाप्त होने की कोई अवध नहीं है।

(लेकिन श्रेष्टतर यह है कि उस तवाफ को अय्यामे तशरीक के दिनों से अधिक दिनों तक निलंबित ना रखें...)

मुख्य स्पष्टी करण :

१)यह चार काम ईद के दिन इस प्रकार होगा : पहले शैतान को कंकरियां मारना, फिर कुरबानी, फिर बाल का मुंडवाना या कटवाना, फिर तवाफे इफादः करना, और तवाफ के बाद सयी करना श्रेष्टत रहै। और अगर उन में से कुछ कार्य आगे पीछे हो जायें तो इस में कोई आपत्ति नहीं है।

२)जब तीन चीजें पूरी तरह अदा करली जाएँ, तो हाजी के लिए ऐहराम बाँधने के कारण से हराम होने वाली सभी चीजें, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से संभोग करना भी वैध हो जाएगा,वह तीन चीजें ये हैं शैतान को कंकरियां मारना, बाल मुंडाना, तवाफएइफादः करना और इस के बाद सयी करना यदि हाजी के पक्ष में सयी शेष हो। और जब केवल दो चीजें अदा करे,तब एहराम बाँधने के कारण से एहराम होने वाली सभी चीजें पत्नी के साथ संभागे के अतिरिक्त, हलाल हो जाती हैं।

३)हज के लिए उसी जानवर को जबह करना चाहिए, जो कुरबानी के लिए जबह किया जाता है, आर्थात जानवर शरीअत द्वारा निर्धारित की गई आयु का है,और वह शरई आयुया वैन आयु वाले भेड़ के लिए छः हमहीने,बकरी के लिए एक साल है,और गाय के लिए दो साल, और ऊुँट के लिए पाँच साल है। बकरी और भेड़ में सिर्फ एक हाजी का हिस्सा होगा, जब कि गाय और ऊुँट सात हाजियों की ओर से

पर्याप्त हागेा। जानवर का दोषमुक्त होना,जैसे बीमारी, बुढ़ापे, कमजोरी,कानापन,अंधापन,लंड़ा पन,और शरीर के अंगो के किनारों के कटे होने से शुद्ध होना चाहिए। हाजी के लिए यह उचित नहीं है कि वे अपने पशु को जबह करे, और उसे वैसे ही फेंक दे, लेकिन वे खुद भी उसका मांस खाए, और योग्य लागों के बीच बाँटें, या फिर जानवर जबह करने के बाद हक दार लागों को सौंप दे, या ऐसे व्यक्ति को उस की जिम्मेदारी सौंपे, जो यह काम अच्छी तरह अदा कर सकता है।

४)जिस व्यक्ति के लिए जानवर प्राप्त करना कठिन हो, वह दस दिन रोजे रखे, जिन में से तीन दिन हज के दिनों में रोजा रखे, और श्रेष्टतर यह है कि अरफात के दिन से पूर्व ही ये रोजे रखले। यह रोजे अय्यामे तशरीक ग्यारह, बारह और तेरह जिलहिज्जा के दिन भी रखना उचित है। और शेष सात रोजे अपने देश लौटने के बाद रखले।

७ –अय्यामे तशरीक और इन में किए जाने वाले कार्य :

अय्यामे तशरीक वह ग्यारह, बारह और तेरह जिलहिज्जा की तारीखों को कहते हैं। इन तीन दिनों के दौरान हाजी के लिए दो बातें करना अनिवार्य है :

१)इन तीन दिनों की रातें मिना में बिताए, इस प्रकार कि जितना हो सके इन तीन रातों में अधिक समय मिना में बिताए, क्योंकि मिना में रात बिताना हज के वाजिबात में शामिल है। अगर कोई किसी उचित कारण के बिना मिना में रात न बिताए, तो वह पापी होग और उस पर फिदिया अनिवार्य होगा।

२)इन तीन दिनों के दौरान हर दिन सूर्यास्त के बाद तीनों जमरातों को कंकरियां मारे, और हर चार रकअत वाली नमाज़ों को संक्षिप्त कर के सारी नमाजें अपने समय पर अदा करें, और कोई भी प्रार्थना(नमाज़) को दूसरी प्रार्थना के साथ जोड़ना नहीं चाहिए।

८-शैतान को कंकरियां मारने की पद्धति (सिफत) :

ग्यारह जिलहिज्जा के दिन जब सूर्यास्त होने लगे, तो वह जिस स्थान पर आवास कर रहा है, उसी स्थान से या मार्ग से अपने साथ ईक्कीस कंकरियां उठालें। जिन में से प्रत्येक कंकर चने के दाने से थोड़ा बड़ा हो, फिर मिना के तुरंत बाद पड़ने वाले जमरह पहुँच कर उसे लगातार सात कंकरियां मारें,हर कंकर मारने के समय अपना हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कहें इस बात का ध्यान रखें कि हर कंकर जमरह के गढ़े में गिरना चाहिए फिर उस के बाद जमरह वुस्ता पहुँच कर ऊपर बताए गए पद्धति के प्रकार सात कंकरियां मारें, फिर जमरह कुबरा पहुँच कर ऊपर बताए गए पद्धति के अनुसार सात कंकरियां मारें। बारहवीं जिलहिज्जा के दिन भी सूर्यास्त के बाद इसी प्रकार करें,उस के बाद जो व्यक्ति शैतान को कंकरियां मरने के बाद जल्दी जाने की इच्छा रखता है, और मिना से सूर्यास्त से पहले ही निकलना चाहता है, तो उसे इस बात का अधिकार है। यदि उस के

निकलने से पहले बारहवीं जिलहिज्जा का सूर्यास्त होजाये, तब उस के लिए तेरहवीं रात मिना में बिताना होगा, और तेरहवीं जिलहिज्जा के दिन सूर्यास्त के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारना वाजिब हागेा। इस प्रक्रिया को ताखीर का नाम दिया गया है, और यह प्रक्रिया जल्दी करना से श्रेष्टतरहै। कंकरियां मारने की शक्ति न रखने वाले व्यक्ति जैसे बीमार, गर्भवती महिला,बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों के लिए शैतान को कंकरियां मारने के लिए किसी को अपना प्रतिनिधि / वकील बनाना उचित होगा।

हज के चार अंश (अर्कान) हैं : एहराम,अराफात में ठहरना,तवाफ करना और सयी करना ।

हज के सात वाजिबात हैं : मीकात से ऐहराम बांधना,मैदाने अराफात में सूर्यास्त तक ठहरना, मुजदलिफः में रात बिताना, अय्यामे तशरीक की तीन रातें मिना में बिताना, शैतान को कंकरियां मारना, बाल मुंडवाना या छोटे करवाना और तिवाफे वेदा करना। जो कोई व्यक्ति हज के अर्कान में से किसी

को भी छोड़ दे,तो उस का हज उस रुक्न के पूर्ण करने से ही पूरा होगा। और जो कुछ वाजिबात छोड़ दे तो उस के बदले उस व्यक्ति पर एक फिदिया का जावनर जबह करना अनिवार्य होगा,जिसे वह मक्का मुकरम्मः में जबह करेगा फिर और उसे हरम के गरीबों के बीच वितरित किया जाएगा,और खुद जानवर का एक टुकड़ा भी नहीं खाएगा...

६ -तवाफे वदा :

जब हाजी अपने कार्यों को समाप्त करलें, और अपने देश लौटना चाहें, तो उन के लिए काबतुल्लाह के तवाफ पूरे सात चक्करों के साथ से पूर्व यात्रा करना उचित नहीं हागा,इस तवाफ के बाद सयी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने तवाफे ईफादः करने में देरी करदी हो, और अपने देश वापस लौटने से पहले तवाफे इफादः किया है, तो इस का यह तवाफ, तवाफे वदा के लिए काफह हो जाएगा। माहिवारी और रक्तस्राव वाली महिला के पक्ष में तवाफे वदा मआफ

हो जाता है, तो यह महिलायें तवाफे वदा किए बिना ही अपने देश के लिए यात्रा कर सकती हैं।

हज के कार्यों के दौरान हाजियों की ओर से की जाने वाली वाली गलतियों पर मुख्य स्पष्टीक रण :

इन गलतियों में से कुछ का संबंध अक़ीदा से है, कुछ का संबंध हज के व्यावहारिक आदेश से है।आसथा (अक़ीदा) से जुड़ी गलतियाँ यह हैं कि कुछ हाजी साहिबान, चाहे मक्का मुकरम्मः में हों या मदीना मुनव्वरा में, क़ब्रों के पास जाया करते हैं।

कब्रों की जयारत से उनका उद्देश्य होता है कि वह उन कब्रों में दफन लोगों को अपनी प्रार्थनाओं का माध्यम बनाएं, उन की क़ब्रों से आशिर्वाद प्राप्त करें या अल्लाह से उन के वसीले से प्रार्थनायें करें, या इस जैसे अन्य कई कार्य हैं, जो शिर्क या बिदअत में शामिल हैं, और यह कब्रों की ज्यारत से संबंधित हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के विपरीत है इस लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की सुन्नत यह है कि नसीहत प्राप्त करने,

आखिरत को याद करने और मुसलमान मृतकों के लिए दया व क्षमा/ मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए कब्र की ज्यारत की जाए, और कब्र की ज्यारत के लिए यात्रा की स्थिति न आए, और केवल पुरुष ही ज्यारत करें, स्त्रयों को इस की अनुमति नहीं है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रों की ज्यारत करने से मना किया था लेकिन सुन लो कि तुम कब्रों की ज्यारत किया करो, क्योंकि इस से आखिरत की याद ताजा होती है ,आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में विशेष रूप से पुरुषों को संबोधित कया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज्यारत करने वाली महिलाओं पर लानत भेजी है।

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रों की ज्यारत करते, तब उन कब्र वालों के लिए दया और क्षमा की प्रार्थना करते थे। यह कब्रों की ज्यारत करने में आप सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की विधि थी। कब्रों की ज्यारत, करने वाले व्यक्ति के लिए नसीहत

का कारण बने। और कब्र वालों के लिए दया और क्षमा की प्रार्थनायें करें।

कब्रों के पास प्रार्थना करने के, लिए या कब्र वालों को माध्यम समझते हुए उनसे आशिर्वाद प्राप्त करने या उनसे सिफारिश मांगने के लिए जाना नबीए पाक सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की सुन्नत के विपरीत है, और फिर यह प्रक्रिया यातो शिर्क में गिनी जाएगी,या शिर्क का एक माध्यम है, जो हज के कार्यों और उद्देश्यों के पूर्ण विपरीत है।

कुछ हाजी साहिबान मक्का मुकरम्मः और मदीना मुनव्वरा में स्थित काल्पनिक कब्रों की ज्यारत के लिए जाने में अपना धन और समय व्यर्थ करते हैं, और अपने शरीर को थका देते हैं। मक्का मुकरम्मः में गारे हिरा और गारे सूर जाते हैं,जब कि इन दोनों गारों की ज्यारत सुन्नत की गिनती में नहीं है। और मदीना मुनव्वरा में सात मस्जिदों, मस्जिदे किब्लतैन, और कुछ निर्धारित स्थानों पर नमाज पढ़ने, प्रार्थना करने और उन से आशिरवाद प्राप्त करने के लिए

जाया करते हैं। मक्का मुकरम्मः और मदीना मुनव्वरा में इन स्थानों की यात्रा करना और यहाँ प्रार्थना करना इस्लाम में आई हुई नई बिदअतें हैं। याद रहे कि हदीस पाक के अनुसार जमीन पर तीन मस्जिदों के अतिरिक्त कोई और मस्जिद नहीं है, जिस की ज्यारत की जा सकती है एक मस्जिदे हराम, दूसरी मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी मस्जिदे अक्सा। और मस्जिदे कुबा की ज्यारत व्यक्ति के पक्ष में सुन्नत है जो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले हैं । दीने इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ना मक्का मुकरम्मः में ना मदीना मुनव्वरा में, और ना किसी और स्थान पर कोई गुफा या ऐसा स्थान है, जिस की ज्यारत की जानी चाहिए । इस लिए कि इस की कोई दलील नहीं है। निश्चित रूप से हाजी यहाँ अल्लाह से पुरस्कार और पुण्य मांगने के लिए आया है, इस लिए अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए विधियों का पालन करे।

अगर हाजी मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने के लिए अपने समय की बचत करे, और अल्लाह के मार्ग में गरीबों के बीच बाँटने के लिए अपने धन की बचत करे तो अवश्य उसे पुण्य मिलेगा। लकिन यदि वह इन संसाधनों को बिदअत एवं अमान्य कार्यों में व्यर्थ करे, तो इसे पाप और दंड के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला है। इस लिए हाजी के लिए यह आवश्यक है कि वह इन बातों से आगाह रहे, और अज्ञानी और बिदअत के शिकार लोगों को देख कर धोखा न खाए, या इसी प्रकार इन बातों से भी धोखा न खाए,जो हज के आचारों के बीच इन बिदअत को बढ़ावा देने के लिए कुछ पुस्तकों में लिखा गया है। हाजी के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी प्रामाणिक और विश्वासनीय किताबों में हज के आचारों का अध्यन करें जो कुरआने करीम और हदीस की रोशनी में लिखी गई हैं,ताकि उसका विश्वास भी सलामत रहे और उस का हज भी सही हो, और साथ साथ जो

भी समस्या समझ में न आए, इस के बारे में उलमा से पूछ लिया करें।

हज के कार्यों से संबंधित गलतियाँ उनमें से कुछ ये हैं

सर्वप्रथम एहराम से संबंधित गलतियाँ

१.हवाई यात्रा के माध्यम से आने वाले कुछ हाजी साहिबान जिद्दः विमानाश्रय पर उतरने तक ऐहराम बाँधने की प्रतीक्षा करते हैं, फिर जिद्दःविमानाश्रय या मक्का मुकर्रम्मःके पास वाले क्षेत्रों से ऐहराम बांधते हैं, जब कि वे अपने रास्ते ही में मीकात पार कर चुके हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीकात के स्थनों के बारे में कहा है कि यह मीकात स्थायी निवासियों के लिए है और उन व्यक्तियों के लिए हैं, जो इन स्थानों के निवासी नहीं हैं इसलिए जो व्यक्ति इन मीकात के स्थानों से गुजरे,या हवाई या जमीनी यात्रा के दौरान इनके ऊपर से या बराबर वाले क्षेत्रों से गुजरे,और वह हज या उमरः का इरादा रखता है, तो इस के लिए मीक़ात से ऐहराम बांधना अनिवार्य है यदि किसी ने मीकात का स्थन पार कर

दिया है और उसके बाद एहराम बाँधा है, तो वह व्यक्ति पापी होगा और हज के वाजिबात में से एक वाजिब को छोड़ने वालों मे शामिल हो जाएगा, और वह इस कमी की भरपाई एक जानवर के जबह से पूरा करेगा।यादरखें कि जिद्दः वहाँ के स्थानीय निवासियों या उस व्यकति के लिए है जिस ने जिद्दः पहुँचने के बाद हज या उम्रः का संकल्प किया है इनके अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए मीकात नहीं है।

२.कुछ हाजी साहिबान जब एहराम बाँध लेते हैं, तो वे यादगार के रूप में अपने चित्र लेने लगते हैं, इन चित्रों को सुरक्षित रखते हैं, और अपने दोस्तों एवं बंधुओं को यह चित्र बताते हैं। इन हाजीसाहिबान की यह प्रक्रिया दो कारण से गलत है :

प्रथम कारण : चित्रकारी खुद हराम और पाप है, इस लिए चित्रकारी के हराम होने से संबंधित कई अहादीस हैं, और उस पर चेतावनी भी आई है, और हाजी इबादत में लगा हुआ है, तो उस के लिए यह उचित

नहीं है कि वह अपनी इबादत का आरम्भ पाप से करे।

दूसरा कारणः चित्रकारी की यह प्रक्रिया ढोंग और दिखलावे में शुमार होती है, इस लिए कि हाजी जब यह चाहे कि लोग उसे हालत एहराम में उस का चित्र देखें, तो स्पष्ट रूप से यह ढोंग हि होगा और ढोंग से अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ढोंग शिर्क असगर है और कपटी व्यक्ति का प्रतीक है।

३.कुछ हाजी साहिबान का अनुमान है कि मनुष्य जब एहराम बांधने का इरादा करे, तो पहले वह अपनी जरूरत की चीजें, जैसे चप्पल, पैसे, और अन्य जरूरत की सभी चीजें रख ले, और जो चीज़ें वह ऐहराम बांधने के समय अपने पास नहीं रखे है, इन चीजों का इस्तेमाल करना उसके लिए वैध नहीं होगा। यह अनुमान गलत है और अज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि हाजी के लिए अपनी जरूरत की सभी चीजों को एहराम के समय अपने

पस रखना आवश्यक नहीं है, और ना उस के लिए इन चीज़ों का उपयोग हराम है,जो उसने एहराम के समय अपने पास नहीं रखा था, लेकिन हाजी अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है, जरूरत की चीजें उपयोग कर सकता है, एहराम का कपड़ा बदल सकता है, अपना चप्पल बदल सकता है, और वह केवल एहराम में निषिद्ध सामान्य चीजों से दूर रहे ।

४.कुछ पुरूषों महानुभाव जब ऐहराम बांधते है, जो तवाफे कुदूम या उमरः)में अकड़ कर चलने की स्थिति की तरह अपने कॉँधों को खुला रखते हैं। उनकी यह प्रक्रिया अनुचित है। यह केवल तवाफे कुदूम या ताफे उमरः के दौरान यह प्रक्रिया उचित है,इसके अतिरक्त अन्य सभी स्थितियों में चादर से अपने कॉँधों को छिपाए रखना चाहिए।

५.कुछ महिलाओं का यह अनुमान है कि एहराम के लिए एक विशेष रंग, उदाहरण के लिए हरे रंग का कपड़ा उपयोग ही किया जाना चाहिए, उन का यह अनुमान गलत है, क्यों कि महिलाओं के एहराम के

कपड़े के लिए कोई विशेष रंग, निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि वह तो अपने दैनिक वस्त्रों के प्रकार कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए अलंकरण एवं जीनत वाला कपड़ा, या तंग या बारीक, प्रकार के कपड़े पहनना नातो हालते एहराम में और ना हि अन्य स्थितियों में वैध है ।

६.कुछ महिलाएं जब एहराम बांध लेती हैं, तो अपने सिर पर पगड़ी जैसी या कोई ऊंची वस्तु रखती हैं, ताकि इस से चेहरा ढका रहे, और चादर चेहरे से अलग रहे। उन की यह प्रक्रिया भी गलत और ऐसी बनावट है, जिस की ना कोई आश्यकता है, और ना उस की कोई दलील है, इस लिए कि हजरत आइशा रजिअल्लाह अन्हा की हदीस में आया है कि महिलाएं हालते एहराम में अजनबी पुरूषों से अपना चेहरा छिपाया करती थीं इस हदीस में हजरत आइशा रजिअल्लाहो अन्हा ने सिर पर पगड़ी या कोई और बुलंद वस्तु रखने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

याद रखें कि ओढ़नी अगर चेहरे से लग भी जाए, तो इस में कोई आपत्ति नहीं है।

७.कुछ महिलाएं जब मीकात से गुजरती हैं, और वह हज या उमरः करने का इरादा रखती हैं, और उन्हें माहवारी प्रारम्भ होजाती है, तो कभी कभी ये महिलाएं एहराम नहीं बाँधती हैं। खुद इन महिलाओं या उन के बड़े लोगों का अनुमान होता है कि एहराम बाँधने के लिए रक्त से पविन्न होना शर्त है। फिर ये महिलाएं एहराम के बिना ही मीकात पार कर लेती हैं ,उनकी यह प्रक्रिया स्पष्ट रूपसे गलत है, इस लिए कि रक्त एहराम के लिए रूकावट नहीं है। रक्त वाली महिला वह सभी कार्य अदा करे जो एक साधारण हाजी करता है, केवल वह माहवारी की स्थिति में काबतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगी,बल्कि उसे अपने शुद्ध होने तक तवाफ को निलंबित करेगी, जैसा कि अहादीस में इस की व्याख्या की गई है। जब कोई महिला ऐहराम बांधने में देरी करे, और एहराम के बिना ही मीकात का स्थान पार करले,तब ऐसी स्थिति

में यदि वह वापस मीकात के स्थान पहुँच कर एहराम बांध लेती है, तब उस पर कोई फिदिया इत्याद अनिवार्य नहीं होगा। और यदि वह मीकात के स्थान को पार होने के बाद ऐहराम बांधे, तो एक अनिवार्य कार्य छोड़ने के कारण उस पर फिदिया अनिवार्य होगा।

दूसरा तवाफ से संबंधित गलतियाँ :

१.अधिकतर हाजी साहिबान तवाफ के दौरान कुछ प्रार्थनायें किसी किताब में देख कर पढ़ते हैं कभी कभी तो कुछ शिष्टमंडल के शिक्षक महानुभाव भी इन पुस्तकों को पढ़ाते हैं, और यह उन शिक्षकों के साथ मिल कर समूह के रूप में उसे पढ़ते हैं, उन का यह कार्य दो कारणों से गलत है :

प्रथम कारण : हाजी ने इस प्रार्थना के स्थान पर ऐसी प्रार्थना को अनिवार्य

और महत्वपूर्ण समझ लिया, जिसके आवश्यक होने के संबंध में कोई प्रमाण ही प्रकट नहीं हुआ है इस

लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा तवाफ के दौरान कोई खास प्रार्थना नहीं बताई गई है ।

दूसरा कारण : सामूहिक रूप से प्रार्थना करना बिदअत है, जिस से अन्य तवाफ करने वालों को उलझन होती ह,और सुन्नत यह है कि हर व्यक्ति को अपने आप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और अपनी आवाज को ऊंची ना करे।

२. कुछ हाजी महानुभव रूकुने यमानी का चुंबन लेते हैं, उनका यह कार्य गलत है, इस लिए कि रूकुने यमानी सिर्फ हाथ से छुआ जाता है,उस का चुंबन ना लिया जाए। चुंबन तो केवल हज्रे अस्वद का लिया जाता है,यदि संभव हो तब हज्रे असवद को छूयें और चुंबन भी लें, या अगर भीड़ की वजह से संभव ना हो, तब दूर से ही छूने और चूमने का संकेत करे। इस के अतिरिक्त अर्कान को ना छुआ जाए, और ना उस का चुम्बन लिया जाए।

३.कुछ लोग हज्रे असवद को छूने और उस का चुंबन लेने के लिए एक दूसरे से भिड. जाते हैं ,उन का यह

कार्य वैध नहीं है क्योंकि भीड़ भाड़ में अधिक संकट और स्वयं उस व्यक्ति के लिए यह जोखिम की बात हो सकती है, इसके अतिरिक्त भीड़ की वजह से पुरूषों और महिलाओं में भिडंत् निश्चित है,उचित यह है कि संभव हो तब हज्रे असवद को छू लें, और उस का चुम्बन लिया जाए। यदि संभव नहीं हो, तब दूर ही से इस का संकेत करलें, एक दूसरे से ना उलझें, ना किसी के लिए जोखिम का माध्यम बनें, और ना उस पवित्र स्थान पर किसी बुराई का माध्यम बनें। याद रखें कि सभी प्रार्थनाओं का आधार सरलता और सुविधा पर रखा गया है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब कि हज्रे असवद छूने और चुंबन देने की प्रक्रिया को संभव होने की स्थिति में केवल उचित कहा गया है। यदि संभव ना हो तब केवल इस की ओर इशारा कर लेना मात्र ही पयाप्त है,क्योंकि भीड़ भाड़ के एकत्र होने से हराम कार्यों के होने की संभवना है,और एक सुन्नत को अदा करने के लिए हराम काम नहीं किया जा सकता है।

तीसराः हज या उमरः में सिर के बाल छोटे करवने से संबंधित गलतियाँ :

कुछ हाजी साहेबान अपने सिर के कुछ बाल कटाने को काफी मान लेते हैं उन की यह प्रक्रिया सही नहीं है, और प्रार्थना की पद्धति नहीं अदा होगी, क्योंकि पूरे सिर के बाल छोटे करवाना अनिवार्य है, इस लिए कि बाल कटवाने का आदेश सिर मुंडवाने के बराबर है, और सिर के सारे बाल मुंडवाये जाते हैं इस लिए सारे बाल कटवाये ही जाने चाहिए, कुरआने करीम में अल्लाह तआला का इर्शाद है :

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟
فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ الفتح: ٢٧

सिर मुंडवाते हुये और सिर के बाल कटवाते हुये बेखौफ होकर वह उन बातों को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते तो उस ने उस से पहले एक निकटतम जीत तुम्हें दी।

जो व्यक्ति अपने सिर से कुछ बाल कटवाता है उन के बारे में यह नहीं कहा जाता है कि उन्हों ने सिर

के बाल कटवाये हैं, बल्कि यह कहा जाता है कि उन्हों ने सिर के कुछ बाल कटवाये है।

चौथा : मैदान अराफात में रहने से संबंधित गलतियाँ :

१.कुछ हाजी साहिबान ठहरने की जगह के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, और ना उन के मार्गदर्शन के लिए लगाए जाने वाले बोर्डों को देखते हैं,जिन पर अराफात की सीमाओं का वर्णन किया गया है, और फिर वह मैदाने अराफात के बाहर ठहर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने ही स्थान पर स्थायी रू‍प से ठहर गया है, और वह अपने आवास के दौरान बिल्कुल ही मैदाने अराफात के अंदर नहीं गया है, तो इस का हज सही नहीं हागा। इस लिए हाजियों के लिए इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है,और यह निश्चित जानकारी प्राप्त करलें कि मैदाने अराफात की सीमायें क्या हैं, ताकि अरफा के आवास के दिन इन सीमाओं के भीतर आवास कर सकें।

२. कुछ हाजियों का विचार है कि मैदाने अराफात में आवास के दौरान जबले रहमत नामक पर्वत को देखना या उस की ओर जाना और उस पर चढ़ना आवश्यक है, इस के लिए लोग अनेक कष्ट सहन करते हैं, और उस पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल देते हैं यह सब काम हाजियों से वांछित नहीं हैं, बल्कि उन के लिए आवश्यक तो यह है कि मैदाने अराफात में किसी भी सीान पर आवास करें, इस लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है : मैदाने अराफात पूरे का पूरा आवास सीान है बस तुम उरनः नामक घाटी से परे रहो। चाहे ये लोग जबले रहमत देखें या ना देखें इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग प्रार्थना के दौरान जबले रहमत की ओर मुड़ते हैं, जब कि काबतुल्लाह की ओर मुड़ना उचित है।

३.कुछ हाजी साहिबान सूर्यास्त से पूर्व ही मैदान अरफात से निकल जाते हैं, और अपनी आवासों की ओर लौटने लगते हैं, उन की यह प्रक्रिया वैध नहीं

है, इस लिए कि यहाँ से वापसी का समय सूर्यास्त के साथ निर्धाारित है और जो सूर्यास्त से पूर्व यहाँ से निकले,और फिर यहाँ न लौटे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति द्वारा हज के वाजिबात में से एक वाजिब को छोड़ने में शामिल होगा,और उस पर अल्लाह के दरबार में तोबा के साथ एक जानवर को जबह करना अनिवार्य होग क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर्यास्त तक मैदाने अराफात में रुके रहे और निश्चित रूप से आप सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी प्रार्थनायें मुझ से सीख लो।

पाँचवाँ : मुजदलिफः से संबंधित गलतियाँ :

जब भी हाजी मुजदलिफः पहुँचे, तो यह आवश्यक है कि विह मगरिब इशा की नमाजें इकट्ठी कर के पढ़ ले,यहीं रात बिताए, फज्र की नमाज पढ़े, और सूर्योदय से पूर्व तक प्रार्थनाओं में संलग्न रहे, फिर मिना की ओर निकल पड़े। विकलांग लोग विशेष रूप से महिलाओं, बड़ी उम्र वाले, बच्चे, और जो इन निर्बल

लोग की देख-रेख करते हैं, उन के लिए आधी रात के बाद मुजदलिफः छोड़ना उचित है।

लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ हाजियों से यह गलती हो जाती है कि िवह मुजदलिफः की सीमाओं की जानकारी प्राप्त किए बिना मुजदलिफः से बाहर ही रात बिताते हैं, और अन्य कुछ लोग आधी रात से पूर्व ही यहाँ से निकल जाते हैं,और यहाँ रात नहीं बिताते हैं। याद रखें कि मुजदलिफः में बिना ठोस कारण के रात नहीं बिताने से,निश्चित रूप से उन से हज के वाजिबात में से एक वाजिब छूट जाएगा तब पश्चताप और माफी के साथ ईस कमी को पूरा करने के लिए वह एक जावनर को जबह करे।

छइवाँ :शैतान को कंकरीयां मारने से सम्बंधित गलतियाँ : हज के वाजिबात में से एक वाजिब शैतान को कंकरियां मारना है, इस का अर्थ यह है कि हाजी ईद के दिन जमरे अक़बः को कंकरियां मारे। ईद के दिन आधी रात के बाद भी जमरे अकबः को कंकरियां

मारना उचित है, और तीनों जमरात को अय्यामे तशरीक के दौरान सूर्यस्त के बाद कंकरियां मारे। लेकिन इस पद्धति को लेकर कुछ हाजी साहिबान से कुछ गलतियां होजाती हैं, जिसकी व्याख्या नीचे की जारही है :

१.कुछ लोग कंकरियां मारने के समय को छोड़ कर अन्य समय में कंकरियां मारते हैं, उदाहरण के लिए ईद की रात में आधी रात से पूर्व जमरे अकबःको कनकरियां मारते हैं। या तीनों जमरात को अय्यामे तशरीक के दौरान सूर्यस्त से पहले कंकरियां मारते हैं,उन का यह कंकरियां मारने का कार्य अपर्याप्त होगा, इस लिए कि उन्हों ने निर्धारित समय में कंकरियां मारने का कार्य नहीं किया है। यह ठीक उसी प्रकार है कि कोई व्यक्ति नमाज का समय होने से पहले ही नमाज पढ़ले। इस लिए उन के लिए मान्य यह है कि िवह पुनः निर्धारित पद्धति के अनुसार जमरात को कंकरियां मारें ।

२. कुछ लाग जमरात के काम को अगे पीछे करदेते हैं : पहले

जमरे वुस्ता या जमरे कुबरा को कंकरियां मारा करते हैं,जब कि वाजिब यह है कि जमरे सोगरा से कंकरियां मारना शूरू किया जाये, इस के बाद जमरे वुस्ता फिर उस के बाद जमरे कुबरा को कंकरियां मारने की प्रक्रिया की जाए, और यही कंकरियां मारने का अंतिम चरण होगा ।

३.कुछ लोग कंकरियां मारने के सही सीान यानी इस के लिए बनाए गये गढ़े में कंकरियां नहीं मारा करते हैं, और दूर से कंकरियां मारते हैं, जो गढ़े में नहीं गिरती है,या फिर स्तंभ पर निशाना मारते हैं, जो उस से लग कर बाहर निकल जाती है,और गढ़े में नहीं गिरती है। इस प्रकार कंकरियां मारना सही नहीं होगा, इस लिए कि कंकरियां गढ़े में नहीं गिरी हैं, इस लिए उन्हें पुनः सही पद्धति के अनुसार कंकरियां मारना अनिवार्य है। और लोगों के इस तरह करने की वजह

यह है कि लोग सही प्रक्रिया नहीं जानते हैं, या जल्दी में होते हैं, या फिर लापरवाही करते हैं।

४.कुछ लोग अय्यामे तशरीक के पहले दिन ही अंतिम दिनों की कंकरियां मारने(रमी) की प्रक्रिया भी कर लेते हैं, फिर हज पूरा होने से पहले ही अपने स्वदेश लौट जाते हैं। और कुछ लोग पहले दिन कंकरियां मारने के बाद अन्य दिनों की रमी करने के लिए किसी को अपना प्रतिनिधि (वकील) बना लेते हैं, और अपने स्वदेश चले जातेहैं। उनकी यह प्रक्रिया हज के कार्यों के साथ खिलवाड़ और शैतानी घमंड है। जब कि य है कि विह हाजी है, जो कठिनाइयां सहन करता है, और हज की अदाईगी के लिए अपना धन खर्च करता है, और जब हज के कुछ कार्य शेष रह गए तब शैतान उन्हें अपने घेरे में ले लेता है, और उस के हज को बाधित कर देता है, और यह हाजी हज के वाजिबात में से कई वाजिब छोड़ने पर सहमत हो जाता है आर्थात उसने अन्य जमरात की रमी छोड़दी,अय्यामे तशरीक की रातों को मिना में नहीं

बिताई,और तवाफे वदा अपने समय पर नहीं कर पाता है क्योंकि तवाफे वदा हज के दिनों और हज के कार्यों के समाप्त होने के बाद आरम्भ होता है । ऐसा व्यक्ति अगर हज न करे और समस्याओं से अपने आप को बचा ले और अपना धन खर्च न करे, तब अधिक श्रेष्टहोगा, इस लिए कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴿١٩٦﴾ ﴾ البقرة: ١٩٦

और हज और उमरे को अल्लाह के लिये पूरे करो।

हज और उमरः को पूरा करने का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति ने हज या उमरः के लिए ऐहराम बाँधा हो वह उचित विधि से सारे कार्यों को

इख्लास के साथ निर्धारित पद्धितयों के अनुसार पूरा करे।

५.कूछ हाजी साहिबान कुरआन करीम की आयत में जल्दी करने का जो उल्लेख किया गया है उस का

अर्थ समझने में गलती करते हैं, लोग यह समझने लगते हैं कि आयते करीमा में दो दिनों का अर्थ एक ईद का दिन और एक उस के बाद का दिन हैं, अर्थात ग्यारह जिलहिज्जा का दिन है। इसी अनुमान से वह लोग ग्यारहवीं तिथि को वापस होने लगते हैं, और कहते हैं कि मैं जल्दी कर रहा हुँ।

उन की यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से गलत है, इसका कारण अज्ञान है, क्योंकि आयत करीमा में दो दिनों का अर्थ ईद के बाद वाले दो दिन हैं, और वह गयारहवीं और बारहवीं तिथि है, जो हाजी जल्दी करते हुएबारहवीं तारीख के दिन सूर्यास्त होते ही कंकरियां मारने के बाद निकलपड़े, तो उस पर कोई पाप नहीं है, और जो व्यक्ति तेरहवीं तिथि तक रुका रहे, और इस दिन सूर्यास्त के बाद कंकरियां मारे,और फिर यात्रा की तैयारी करे, तो यह अधिक श्रेष्ट औरअधिक पूर्ण है।

सातवां मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत से संबंधित गलतियाँ :

इस बात में कोई शक नहीं कि मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत सही हदीसों की रोशनी में सुन्नत है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है : तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी और मस्जिद के लिए यात्रा ना की जाये ,एक मस्जिदे हराम, दूसरी मेरी यह मस्जिद, और तीसरी मस्जिदे अक़्सा।

और आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदे नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज मस्जिदे हराम को छोड़ कर अन्य मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली हजार नमाजों से श्रेष्टतर है।

इससे यह पता चलता है कि मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत और इस के लिए यात्रा करना सुन्नत है। लेकिन कुछ हाजी साहिबान इस विषय में बहुत सारी गलतियाँ कर ते हैं,जिस का विवरण नीचे लिखा जा रहा है :

१. कुछ लोग यह समझते हैं कि मस्जिदे नबवी सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की यात्रा का संबंध हज से है,या मस्जिदे नबवीसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत से हज पूरा होता है,या हज के कार्यों में गिना जाता है।

उनका यह अनुमान स्पष्ट रूप से गलत है,इस लिए कि मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत के लिए सही हदीसों से कोई समय निर्धारित नहीं है, और ना हज का ज़्यारत से कोई संबंधहै। इस लिए जो व्यक्ति हज अदा करे और मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत ना करे, तो भी उस का हज सही और पूर्ण है।

२. कुछ लोग यह समझते हैं कि मस्जिदे नबवी सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत अनिवार्य है, यह अनुमान भी गलत है, क्योंकि मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत सुन्नत है,और अगर किसी ने अपने जीवन में कभी मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़्यारत ना की

हो,तब भी वह पापी नहीं होगा। जो व्यक्ति अच्छे संकल्प के साथ मस्जिदे नबवी की ज़्यारत करे, उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा,और जो कभी उस की ज़्यारत नहीं करे, उस परकोई पाप नहीं है।

३.कुछ हाजी साहिबान मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यात्रा को स्वयं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या उन की क़ब्र की ज़्यारत समझते हैं यह गलत है साथ ही साथ इस से अकीदे की गलती में भी पड़ने का खतरा है,इस लिए कि जिस ज़्यारत के लिए यात्रा की अनुमति है,उस का मूल आधार यह है कि मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत की जाए,ताकि उस में नमाज पढ़ी जाए, इस संदर्भ में क़ब्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,औरअन्य सहाबा,और शोहदा की क़ब्रों की ज़्यारत भी शामिल हो जाती है,क़ब्रों की ज़्यारतके मुख्य उद्देश्य से यात्रा नहीं करना चाहिए, इस लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी भी

स्थान पर प्रार्थाना हेतु यात्रा करने से मना किया है, इस लिए न तो अंबियाः और औलिया की क़ब्रों की ज़्यारत के लिये यात्रा करें और न ही इन तीन मस्जिदों के अतिररक्त किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए यात्रा की जानी चाहिए।

और वह अहादीस जिन में हाजी को क़ब्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत पर प्रेरित किया गया है, इन सभी अहादीस में से एक भी इस योग्य नहीं है कि उसे दलील बनाया जा सकता हो,क्योंकि या तो वह अहादीस बनावटी हैं या वह कमज़ोर हैं। जैसा कि हदीस के इमामों ने इस के विषय में स्पष्टीकरण किया है,लेकिन जो व्यक्ति मस्जिदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करे, तो उस के लिए उचित यह है कि मस्जिदे नबवी की ज़्यारत के साथ क़ब्रे नबवी और दूसरी क़ब्रों की ज़्यारत भी कर लें यह ज़्यारत मस्जिदे नबवी की ज़्यारत के ताबे होगी और इस विषय में क़ब्रों की ज्यारत के विषय में वारिद आम हदीसों से दलील

पकड़ी गई है, लेकिन ज़्यारतके लिए र्शत यह होगी कि वह शरई ज़्यारत हो जिस में सिर्फ मुसलमान मृतकों पर ही सलाम भेजा जाए, और उन के लिए दया एंव मुक्ति अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रार्थाना की जाए। ज़्यारत में अल्लाह ताअला को छोड़ कर उन क़ब्र वालों से सहायता माँगना,और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग उन से मांग करना शिर्क वाली ज़्यारत होगी,ना कि शरई ज़्यारत।

४.मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करने वाले व्यक्तियों से होने वाली गलतियों में यह भी है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि मस्जिदे नबवी में कुछ निर्धारित संख्या, जैसे उदाहरण के लिए चालीस रकअत नमाज पढ़ना चाहिए। यह अनुमान बिल्कुल गलत है, इस लिए कि मस्जिदे नबवी की ज़्यारत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रकअतों का कोई निर्धारण सही हदीसों से प्रमाणित नहीं है। और वह हदीस जिसमें चालीस रकअतों को निर्धारित किया गया है,वह हदीस

सही नहीं है, और न उसे प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। इस लिए मस्जिदे नबवी में रकअतों की संख्या निर्धारित किए बिना आसानी से जितनी नमाजें पढ़ना संभव हो, पढ़ी जाएं।

५.आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़्यारत करने वाले कुछ लोगों की गलती यह है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र के निकट खड़े हो कर ऊँचे स्वर में प्रार्थनायें करते हैं, और उन का यह अनुमान होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र के निकट प्रार्थना करना एक विशेष महत्व रखता है, और इस तरह प्रार्थना करना उचित भी है, उनकी यह प्रक्रिया मूल रूप से गलत है, इस लिए कि क़ब्र के पास प्रार्थना करना उचित नहीं है, चाहे प्रार्थाना करने वाला अल्लाह तआला ही से क्यों ना मांग रहा हो, क्योंकि यह बिदअत है और शिर्क का साधनहै।

और हमारे पूर्वज जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र के पास दरूद और सलाम के लिए

पहुंचते, तो कभी उन लोगों ने प्रार्थना नहीं की, बल्कि ये लोग तो बस अपना सलाम भेजते और वापस लौट जाते थे।

और जो भी व्यक्ति अल्लाह ताआला से मांगना चाहे, तो वह क़िबलः की ओर मुड़ कर,और मस्जिद में बैठ कर प्रार्थना करे,नाकि क़ब्र के निकट हो कर, और ना ही क़ब्र की ओर मुड़े, इस लिए कि प्रार्थना के लिए क़िबलः काबतुल्लाह है। आप पाठक इस ओर विशेष ध्यान दें।

मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करने वालों से एक बड़ी गलती यह भी होती है कि मदीना मुनव्वरा में विभिन्न स्थानों और विभिन्न मस्जिदों की ज़्यारतों के लिए जाते हैं, जब कि ऐसी ज़्यारतें करना उचित नहीं है, बल्कि यह तो हराम एंव बिदअत में से है, जैसे मस्जिदे गमामः, मस्जिदे क़िब्लतैन और सात मस्जिदें इत्यादि जैसे अन्य स्थान हैं,उन के बारे में साधारण और कुछ अनजान लोग यह समझते हैं कि यह ज़्यारतें उचित हैं, उन का यह

गुमान उन से होने वाली गलती से भी बड़ा है,क्योंकि मदीना मुव्वरा में मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदे कुबा में नमाज़ हेतु ज़्यारत करने के अतिरिक्त किसी भी अन्य मस्जिद की ज़्यारत उचित नहीं है।

इन दो मस्जिदों के अतिरिक्त मदीना मुनव्वरा की सभी मस्जिदें जमीन पर बनी हुई सामान्य मस्जिदों के प्रकार हैं, उन की कोई विशेषता या श्रेष्ठता नहीं है,और ना उन की ज़्यारत उचित है। इस लिए मुसलमानों का कर्तव्य बनता है कि वह इन बातों की ओर ध्यान दें,अपना समय और अपना धन ऐसी चीजों में खर्च न करें, जो उन्हें अल्लाह ताआला और उस की दया से दूर करती हैं, इस लिए कि जो कोई व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करे, जिस को ना अल्लाह तआला और ना उस के रसूल सल्ल ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैध ठहराया है, तो उस की यह प्रार्थना अस्वीकार्य है,और ऐसा व्यक्ति अपनी इस प्रार्थना के माध्यम से पुण्य कमाने के बजाय उल्टा, पापी होगा, क्योंकि आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है : जो व्यक्ति हमारे बताए हुए कार्यों से हट कर कोई कार्य करे,तो उस की यह प्रक्रिया स्वीकार नहीं होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्य से, और ना अप के आदेश से प्रमाणित होने वाली एक भी ऐसी दलील है,जो मस्जिदे गमामः और मस्जिदे क़िबलतैन या अन्य सात मस्जिदों की ज़्यारत का कोई प्रमाण मिलता हो,बल्कि यह तो अभी नई गढ़ी हुई बिदअत है। हम अल्लाहतअला से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सच को सच समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। और हमें झूठ को झूठ समझने और उससे बचने की तौफीक प्रदान करे।

अल्हम्दु ल्लिल्लाही रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व आलिही व अस्हाबिही अज्मईन।

हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो ब्रह्माण्ड का पालक है और दरूदो सलाम हो उसके पैगंबर मुहम्मद पर एवं उन के परिवार और उन के साथियों पर।